

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह  
उप सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
जल संसाधन विभाग झारखण्ड।

राँची, दिनांक २२/८/१९

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 के मांग संख्या- 50-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2702- लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल, लघु शीर्ष-005 अन्वेषण, उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जॉच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट मुख्य शीर्ष 2702- लघु सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 50 जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 2702-लघु सिंचाई	02- भू-जल	005-अन्वेषण/ 01-सर्वेक्षण एवं जॉच	1307.330

कुल आवंटित राशि -

रुपये तेरह करोड़ सात लाख तौंतीस हजार मात्र

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध ₹ 10523.49 लाख (एक सौ पाँच करोड़ तेहस लाख उनचास) के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय रथायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681(वि.) दि. 16.06.15 के आलोक में होगा।
4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से हीं किया जायेगा।
6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।


(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

रमेश कुमार दुबे  
विशेष सचिव

8. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
9. वित विभाग के पत्रांक - 29/बी टी ई-18/2014-15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उपलब्धता के उपरांत हीं अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जायेगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण Online किया जाय साथ हीं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में Access No तथा Revoke No/ Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2020 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

**नोट :** यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।


अनु. :- यथोक्त

  
 (अरुण कुमार सिंह) /५.७.१९  
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 6।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/खूंटी/गढ़वा/गुमला/गोड़ा/चतरा/चाईबासा/धनबाद/बोकारो/रामगढ़/सरायकेला/देवघर/सिमडेगा/दुमका/गिरीडीह/जमशेदपुर/लातेहार/पाकुड़/जामताडा/साहेबगंज/कोडरमा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनु. :- यथोक्त

  
 (अरुण कुमार सिंह) /५.७.१९  
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 6।

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पांच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त



(राजेन्द्र प्रसाद)  
 उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे)  
 विशेष सचिव

  
 (अरुण कुमार सिंह) /५.७.१९  
 अपर मुख्य सचिव



(अरुण कुमार सिंह) (५-७-१९  
अपर मुख्य सचिव

विजेष संदर्भ

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभिभा)

क्र सं	वित्तीय वर्ष 2019–2020	विस्तृत शीर्ष-01–वेतन एवं नते वारा व्यय							विस्तृत शीर्ष-03–प्रशासनिक व्यय							विस्तृत शीर्ष-04–नाटराजिया इतन एवं मरम्मति	विस्तृत शीर्ष-05–प्रशासनिक व्यय	कुल बोग	आमुकित
		वेतन	पूर्व का बकाया वेतनादि	एलाईटीसी के देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	क्रिया, दर, कर	आपूर्ति एवं चानगी	दूसाथ वर्दी	विद्युत व्यय	माटराजिया इतन एवं मरम्मति	विधि प्रशासनिक व्यय								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
11	लघु सिंचाई पुरा नियन्त्रण प्रमंडल-रेंजी	पूर्व का आवंटन 189,000 0.000 0.000 0.200 0.250 0.000 0.050 0.000 0.000 0.200 0.100 0.000 0.200 0.800 0.000 0.000 189,800	आतंरिक आवंटन 11,000 0.000 0.000 0.200 0.200 0.000 0.450 0.000 0.200 0.150 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 12,900																
12	लघु सिंचाई प्रमंडल-कोखरा	पूर्व का आवंटन 123,000 0.000 0.000 0.200 0.250 0.000 0.050 0.000 0.000 0.200 0.150 0.000 0.200 0.100 0.300 0.000 0.000 123,800	आतंरिक आवंटन 77,000 0.000 0.000 0.200 0.900 0.200 0.450 0.150 0.200 0.150 0.100 0.000 0.100 0.100 0.050 0.050 0.050 80,450																
13	लघु सिंचाई प्रमंडल-खूटी	पूर्व का आवंटन 246,000 0.000 0.000 0.200 0.250 0.000 0.050 0.000 0.000 0.200 0.150 0.000 0.200 0.200 0.400 0.100 0.100 246,800	आतंरिक आवंटन 0,000 0.000 0.000 0.200 0.200 0.000 0.450 0.120 0.120 0.150 0.150 0.000 0.000 0.200 0.200 0.100 0.100 1,470																
14	लघु सिंचाई प्रमंडल-गढ़ाया	पूर्व का आवंटन 136,000 0.000 0.000 0.200 0.250 0.000 0.050 0.000 0.000 0.200 0.150 0.000 0.200 0.050 0.000 0.000 0.000 136,800	आतंरिक आवंटन 41,000 0.000 0.000 0.200 0.250 0.000 0.050 0.000 0.000 0.200 0.100 0.000 0.200 0.000 0.300 0.000 0.000 204,250																
15	लघु सिंचाई प्रमंडल-गिरिहिं	पूर्व का आवंटन 178,000 0.000 0.000 0.200 0.250 0.000 0.050 0.000 0.000 0.200 0.150 0.000 0.200 0.200 0.400 0.100 0.100 248,270	आतंरिक आवंटन 77,000 0.000 0.000 0.200 0.900 0.200 0.450 0.150 0.200 0.150 0.150 0.000 0.000 0.200 0.200 0.100 0.100 248,270																
16	लघु सिंचाई प्रमंडल-गुमला	पूर्व का आवंटन 213,000 0.000 0.000 0.200 0.250 0.000 0.050 0.000 0.000 0.200 0.150 0.000 0.200 0.050 0.000 0.000 0.000 213,800	आतंरिक आवंटन 69,000 0.000 0.000 0.200 0.200 0.000 0.450 0.090 0.090 0.150 0.150 0.000 0.000 0.200 0.200 0.100 0.100 179,350																
17	लघु सिंचाई प्रमंडल-गोड्डा	पूर्व का आवंटन 232,000 0.000 0.000 0.200 0.250 0.000 0.050 0.000 0.000 0.200 0.150 0.000 0.200 0.050 0.000 0.000 0.000 232,800	आतंरिक आवंटन 28,000 0.000 0.000 0.200 0.200 0.000 0.450 0.150 0.150 0.150 0.150 0.000 0.000 0.200 0.200 0.100 0.100 262,450																
18	लघु सिंचाई प्रमंडल-कतरा	पूर्व का आवंटन 53,000 0.000 0.000 0.200 0.300 0.000 0.050 0.000 0.000 0.200 0.200 0.000 0.200 0.050 0.000 0.000 0.000 55,350	आतंरिक आवंटन 211,000 0.000 0.000 0.200 0.500 0.000 0.450 0.000 0.000 0.200 0.100 0.000 0.200 0.100 0.200 0.000 0.000 214,150																
19	लघु सिंचाई प्रमंडल-चाईबासा	पूर्व का आवंटन 224,000 0.000 0.000 0.200 0.250 0.000 0.050 0.000 0.000 0.200 0.150 0.000 0.200 0.050 0.000 0.000 0.000 224,800	आतंरिक आवंटन 26,000 0.000 0.000 0.200 0.700 0.200 0.300 0.150 0.000 0.200 0.200 0.000 0.000 0.200 0.400 0.100 0.100 28,050																
20	लघु सिंचाई प्रमंडल-काशीदपुर	पूर्व का आवंटन 343,000 0.000 0.000 0.200 0.250 0.000 0.050 0.000 0.000 0.200 0.150 0.000 0.200 0.050 0.000 0.000 0.000 343,800	आतंरिक आवंटन 120,000 0.000 0.000 0.200 0.200 0.000 0.450 0.150 0.150 0.150 0.150 0.000 0.000 0.200 0.600 0.100 0.100 121,850																
21	लघु सिंचाई प्रमंडल-जामालाड़ा	पूर्व का आवंटन 250,000 0.000 0.000 0.200 0.250 0.000 0.050 0.000 0.000 0.200 0.200 0.000 0.200 0.150 0.000 0.000 0.000 250,800	आतंरिक आवंटन 25,000 0.000 0.000 0.200 0.400 0.000 0.450 0.300 0.300 0.300 0.300 0.000 0.000 0.200 0.600 0.100 0.100 252,150																
22	लघु सिंचाई प्रमंडल-झूमका	पूर्व का आवंटन 107,000 0.000 0.300 0.450 0.200 0.100 0.050 0.000 0.000 0.200 0.150 0.000 0.200 0.100 0.000 0.000 0.000 109,800	आतंरिक आवंटन 547,7000 0.000 0.300 0.450 0.200 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.000 0.000 0.200 0.700 0.000 0.000 550,600																

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभिनी)

6/2/2019

(रमेश कुमार द्व्ये)  
विशेष सचिव15/07/19  
(अरुण कुमार सिंह) 15/07/19  
अप्र मुख्य सचिव

